

**सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध काउंसिल के पद पर चयन हेतु
विज्ञापन**

यह विज्ञापन उ0प्र0 शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश दिनांक 28.11.2020 एवं उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध काउंसिल्स की शासी समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रकाशित किया जा रहा है।

सचिव के पद हेतु उन चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहें हैं, जिन्होंने एम.डी./एम.एस. किया हो तथा जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव हो। जिसमें 07 वर्ष मेडिकल कालेज/मेडिकल इंस्टीट्यूट/यूनीवर्सिटी में टीचिंग का अनुभव हो। इस पद हेतु आवेदन करते समय आवेदक की आयु 50 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिये तथा इसमें वेतन लेवल 14 में 144200 निर्धारित है। इसके साथ अन्य भत्ते भी शासनादेश के अनुसार देय हैं। यह नियुक्ति तीन वर्ष के लिये होगी। मूल शासनादेश तथा सेवा शर्तें कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध है।

कार्यालय की ई-मेल postofsecretary.upsmf@upsmfac.org पर प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 तक आवेदन करें तथा हार्ड कॉपी कार्यालय के पते पर 28 दिसम्बर, 2020 तक उपलब्ध कराये।

अध्यक्ष,
(उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध काउंसिल्स)
5, सर्वपल्ली, मॉल एवेन्यू रोड,
लखनऊ।

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण/अध्यक्ष,
उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर, 2020

विषय:- उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के सचिव/रजिस्ट्रार के पद की नियुक्ति के संबंध में पूर्व से लागू नियमों को संशोधित किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-डी०जी०एम०ई०-कैम्प/2020/338 दिनांक 24.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 24.11.2020 द्वारा शासनादेश संख्या-2976/5-7-95-707 बी०पी०/92 दिनांक 27.09.1995 में वर्णित उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के सचिव/रजिस्ट्रार के पद की नियुक्ति के संबंध में नियमों को फैकल्टी की शासी समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 21.11.2020 के अनुमोदनोपरान्त निम्नवत् संशोधित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-
चयन समिति-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० स्टेट मेडिकल-अध्यक्ष फैकल्टी/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
2. उ०प्र० मेडिकल कौंसिल द्वारा नामित एक सदस्य - सदस्य
3. उ०प्र० नर्सिंग कौंसिल द्वारा नामित एक सदस्य - सदस्य
4. शासन द्वारा नामित एक मेडिकल/डेण्टल-सदस्य क्षेत्र का विशेषज्ञ
5. शासन द्वारा नामित एक नर्सिंग/पैरामेडिकल-सदस्य क्षेत्र का विशेषज्ञ
6. शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का-सदस्य अधिकारी

अर्हता-

- (a) Qualification - A registered Allopathic Post Graduate of the rank of Professor or Additional Professor or Associate Professor having not less than Post P.G. 10 years teaching experience out of which 07 years shall be as regular teaching faculty in a Medical College or Medical Institute or Medical University.

(b) Age of appointment - should not be more than 50 years on the last date of receipt of applications.

वेतनमान-

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के रजिस्ट्रार/सचिव के पद का वेतन लेवल-14 का होगा, जिसमें बेसिक पे रू० 144200/- होगा तथा उक्त के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे। नान प्रैक्टिस एलाउन्स मूल वेतन का 25 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के नियमानुसार अनुमन्य होगी।

कार्यकाल-

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के रजिस्ट्रार/सचिव के पद का कार्यकाल 03 वर्ष होगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यकाल समाप्ति के उपरान्त रिक्ति विज्ञापित होने पर पुनः एक अतिरिक्त टर्म के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसी भी दशा में रजिस्ट्रार/सचिव का कार्यकाल 06 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

3- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के सचिव/रजिस्ट्रार के पद की नियुक्ति के संबंध में पूर्व प्रचलित नियमों को उपरोक्तानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सचिव/रजिस्ट्रार उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पद पर चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जानी है अतएव पद के विज्ञापन के आधार पर आवेदन तथा साक्षात्कार में प्रतिभाग हेतु पूर्व नियोक्ता संस्थान की अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु कार्यभार ग्रहण किए जाने के समय अभ्यर्थी द्वारा पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण किया जाएगा।

5- कृपया सचिव/रजिस्ट्रार उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने हेतु तदनुसार आवश्यक/अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1964(1)/71-4-2020-तददिनांक-

प्रतिलिपि सचिव, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।